भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 803
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक ढांचा

803. श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित एयरलाइन ऑपरेटरों को लाइसेंस जारी करने के लिए कोई औपचारिक नीति/विनियामक ढांचा तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही पात्रता मानदंड, प्रक्रियाएँ और अनुसूचित ऑपरेटर लाइसेंस (एसओएल) के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों या कागजातों की सूची क्या है;

(ग) 1980 से अब तक देश में अनुसूचित परिचालन परमिट प्राप्त करने वाली एयरलाइनों की संख्या सहित प्रत्येक एयरलाइन का नाम, उनके स्वामित्व का विवरण और परिचालन प्रारंभ होने का वर्ष क्या है;

(घ) वर्तमान में परिचालनरत एयरलाइनों की संख्या कितनी है और परिचालन बंद करने वाली एयरलाइनों की संख्या कितनी है, साथ ही प्रत्येक मामले में परिचालन बंद होने का वर्ष क्या है; और

(ङ) डेक्कन एयरलाइंस और किंगफिशर एयरलाइंस को क्रमशः किस वर्ष लाइसेंस प्रदान किए गए थे, उनके परिचालन की अवधि क्या है और उनकी सेवाओं को बंद करने के आधिकारिक रूप से दर्ज कारण क्या हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): देश में अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों को लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक फ्रेमवर्क से संबंधित विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ग) और (घ): वर्ष 1980 से देश में अनुसूचित परिचालन परमिट प्राप्त एयरलाइनों की संख्या, वर्तमान में परिचालनरत एयरलाइनों और परिचालन बंद कर चुकी एयरलाइनों की जानकारी अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(ङ) : डेक्कन एविएशन और किंगफिशर एयरलाइंस को क्रमशः वर्ष 2003 और वर्ष 2005 में अनुसूचित प्रचालक परमिट प्रदान किए गए थे।

डेक्कन एविएशन लिमिटेड को किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, और तत्पश्चात वर्ष 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड का डेक्कन एविएशन लिमिटेड में विलयन कर दिया गया और विलयित एयरलाइन का नाम बदलकर किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड कर दिया गया था।

किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के संबंध में दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 से अनुसूचित प्रचालक परमिट को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अनुमोदित उड़ान अनुसूचियों का अनुपालन नहीं किया था तथा पिछले 10 महीनों में उड़ानों को आकस्मिक रद्द कर दिया था, तथा सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई परिवहन सेवा को पुनः स्थापित करने में विफल रहे थे।

अनुलग्नक-I

अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों को लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक ढाँचा

1. वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 134 और अनुसूची XI के प्रावधानों के अंतर्गत डीजीसीए द्वारा अनुसूचित विमान परिवहन सेवा के लिए विमान प्रचालक प्रमाणपत्र (एओसी) प्रदान किया जाता है। वायुयान नियमावली 1937 की अनुसूची XI के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित विमान परिवहन सेवा के लिए निम्नलिखित को एओसी प्रदान किया जा सकता है:

(i) भारत के नागरिक को, या

(ii) किसी कंपनी या निगमित निकाय को, बशर्ते कि–

(क) वह पंजीकृत हो और उसका प्रधान व्यवसायिक स्थान भारत में हो;
(ख) उसके अध्यक्ष और कम से कम दो-तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों; और
(ग) उसका पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास हो।

2. इसके अतिरिक्त, एओसी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी आवेदक को अपनी प्रस्तावित विमान परिवहन सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है, जिसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने और साथ ही आवेदक की वित्तीय सुदृढ़ता, उसकी प्रचालन योजना, निदेशकों सहित आवेदक के संगठन की सुरक्षा की दृष्टि से क्लियरेंस, और कोई अन्य घटक जिसका नीतिगत दृष्टि से प्रस्तावित विमान परिवहन सेवाओं से संबंध हो, को ध्यान में रखकर प्रदान किया जाता है।

3. केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहता है, जिसके दौरान आवेदक से निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद डीजीसीए से एओसी प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

4. डीजीसीए, विमान प्रचालक प्रमाणन मैनुअल के अनुसार प्रासंगिक विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद विमान प्रचालक प्रमाणपत्र प्रदान करता है, जो डीजीसीए द्वारा एओसी प्रदान करने के लिए एक संरचित 5 चरणीय प्रक्रिया का अनुपालन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदक के पास सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय सेवा प्रदान करने की आवश्यक क्षमता है।

5. एओसी 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है और यह सुनिश्चित करने के बाद कि प्रचालक विमान प्रचालक प्रमाणन मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रासंगिक विनियामक आवश्यकताओं का निरंतर अनुपालन कर रहा है, इसे 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाता है।

6. अनुसूचित प्रचालक लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों या कागजातों की सूची:

i. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाण पत्र

ii. सीएपी3100/सीएपी3300/सीएपी34000 के परिशिष्ट-क, ख, ग, के लिए औपचारिक आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ, जो भी लागू हो,

iii. पदधारकों का नामांकन

- उत्तरदायी प्रबंधक
- निदेशक उड़ान प्रचालन
- निदेशक प्रशिक्षण
- मुख्य पायलट (एस)
- सतत उड़नयोग्यता प्रबंधक (सीएएम)
- गुणवत्ता प्रबंधक
- प्रबंधक, इनफ्लाइट
- मुख्य संरक्षा अधिकारी (सीएसओ)
- उड़ान सुरक्षा प्रमुख
- एसएमएस प्रबंधक/सुरक्षा प्रबंधक

iv. मैनुअल की सूची

- प्रचालन मैनुअल
- वायुयान उड़ान मैनुअल
- एफडीटीएल योजना
- सामान्य एवं आपातकालीन प्रक्रिया चेकलिस्ट
- सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रक्रिया (एसईपी) मैनुअल

- केबिन कर्मीदल प्रशिक्षण मैनुअल
- त्वरित संदर्भ पुस्तिका
- यात्री ब्रीफिंग कार्ड
- खतरनाक सामान मैनुअल (यदि लागू हो)
- उड़ान प्रेषण मैनुअल
- ग्राउंड हैंडलिंग मैनुअल
- लोड और ट्रिम शीट
- सतत उड़नयोग्यता प्रबंधन प्रदर्शन (सीएएमई)
- न्यूनतम उपकरण सूची (एमईएल)/विन्यास सूची (सीडीएल)
- वायुयान रखरखाव कार्यक्रम (एएमपी)
- तकनीकी लॉग बुक
- भार अनुसूची/एल एंड टी शीट
- उड़ान सुरक्षा दस्तावेजन प्रणाली मैनुअल
- उड़ान सुरक्षा मैनुअल
- सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मैनुअल

अनुलग्नक - II

वर्ष 1980 से देश में अनुसूचित प्रचालन परमिट प्राप्त एयरलाइनों की संख्या

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एयरलाइन का नाम</th><th>परिचालन आरंभ करने का वर्ष</th><th>वर्तमान स्थिति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>एअर इंडिया लिमिटेड</td><td colspan="2" rowspan="2">वर्ष 1994 से पहले, वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के तहत स्थापित केवल 2 अनुसूचित एयरलाइनें नामतः एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस थीं, जिन्हें वायु निगम (उपक्रमों का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 1994 के तहत नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था ।

दोनों एयरलाइनों का वर्ष 2007 में विलयन कर दिया गया, जिससे अंततः एकल एयरलाइन एअर इंडिया लिमिटेड का निर्माण हुआ।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ईस्ट वेस्ट ट्रैवल्स एंड ट्रेड लिंक लिमिटेड</td><td>1994</td><td>वर्ष 1996 को परिचालन बंद किया गया</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अर्चना एयरवेज लिमिटेड</td><td>1994</td><td>वर्ष 2000 को परिचालन बंद किया गया</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>स्काईलाइन एनईपीसी लिमिटेड</td><td>1994</td><td>वर्ष 1997 को परिचालन बंद किया गया</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>मॉडिलफ्ट लिमिटेड</td><td>1994</td><td>वर्ष 1996 को परिचालन बंद किया गया</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>एनईपीसी माइकॉन लिमिटेड</td><td>1994</td><td>वर्ष 1997 को परिचालन बंद किया गया</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड</td><td>1995</td><td>वर्ष 2019 को परिचालन बंद किया गया</td></tr>
</table>

क्र. सं.	एयरलाइन का नाम	परिचालन आरंभ करने का वर्ष	वर्तमान स्थिति
9.	जेट लाइट (आई) लिमिटेड (पूर्व में सहारा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था)	1996	वर्ष 2019 को परिचालन बंद किया गया
10.	एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	1997	परिचालनरत
11.	लुफ्थांसा कार्गो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1997	वर्ष 2000 को परिचालन बंद किया गया
12.	डेक्कन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	2003	वर्ष 2008 में किंगफिशर द्वारा अधिग्रहित, तत्पश्चात किंगफिशर का डेक्कन एविएशन में विलयन हो गया और विलयन के उपरांत बनी कंपनी का नाम परिवर्तित करके किंगफिशर एयरलाइंस कर दिया गया। वर्ष 2012 को परिचालन बंद किया गया।
13.	ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड (कार्गो)	2003	परिचालनरत
14.	एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	2005	परिचालनरत
15.	किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड	2005	वर्ष 2008 में डेक्कन एविएशन में विलयन कर दिया गया।
16.	स्पाइस जेट लिमिटेड	2005	परिचालनरत
17.	पैरामाउंट एयरवेज	2005	वर्ष 2010 को परिचालन बंद किया गया
18.	गो एयरलाइंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	2005	वर्ष 2023 को परिचालन बंद किया गया
19.	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2006	परिचालनरत
20.	इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड	2006	वर्ष 2007 को परिचालन बंद किया गया
21.	एमडीएलआर एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड	2008	वर्ष 2009 को परिचालन बंद किया गया
22.	जैग्सन एयरलाइंस लिमिटेड	2008	वर्ष 2008 को परिचालन बंद किया गया
23.	डेक्कन कार्गो एंड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2009	वर्ष 2014 को परिचालन बंद किया गया
24.	आर्यन कार्गो एक्सप्रेस	2010	वर्ष 2011 को परिचालन बंद किया गया
25.	क्विकजेट कार्गो एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड	2012	वर्ष 2017 को परिचालन बंद किया गया
26.	रेलिगेयर एविएशन लिमिटेड (क्षेत्रीय)	2012	वर्ष 2017 को परिचालन बंद किया गया
27.	एलईपीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एयर कोस्टा)	2013	वर्ष 2017 को परिचालन बंद किया गया

क्र. सं.	एयरलाइन का नाम	परिचालन आरंभ करने का वर्ष	वर्तमान स्थिति
28.	एयर एशिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (नाम परिवर्तित करके एआईएक्स कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है)	2014	दिनांक 01.10.2024 से एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में विलयन हो गया ।
29.	टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड (विस्तारा)	2014	दिनांक 12.11.2024 से एअर इंडिया लिमिटेड में विलयन हो गया ।
30.	एयर पेगासस प्राइवेट लिमिटेड	2015	वर्ष 2016 को परिचालन बंद किया गया
31.	टर्बो मेघा एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड (ट्रूजेट)	2015	वर्ष 2022 को परिचालन बंद किया गया
32.	एयर कार्निवल प्राइवेट लिमिटेड	2016	वर्ष 2017 को परिचालन बंद किया गया
33.	एलईपीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एयर कोस्टा)	2016	वर्ष 2017 को परिचालन बंद किया गया
34.	ज़ेक्सस एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ज़ूम एयर)	2017	वर्ष 2024 को परिचालन बंद किया गया
35.	डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (एयर डेक्कन)	2017	वर्ष 2020 को परिचालन बंद किया गया
36.	एयर ओडिशा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	2018	वर्ष 2020 को परिचालन बंद किया गया
37.	घोडावत एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (स्टार एयर)	2019	परिचालनरत
38.	हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	2019	वर्ष 2022 को परिचालन बंद किया गया
39.	पवन हंस लिमिटेड (एससीओ)	2019	वर्ष 2024 को परिचालन बंद किया गया
40.	बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड (फ्लाई बिग)	2020	परिचालनरत
41.	एविएशन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एयर टैक्सी)	2020	वर्ष 2023 को परिचालन बंद किया गया
42.	एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (अकासा एयर)	2022	परिचालनरत
43.	क्विकजेट कार्गो एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड	2022	परिचालनरत
44.	जीएसईसी मोनार्क और डेक्कन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (इंडियावन एयर)	2022	परिचालनरत
45.	जस्ट उडो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (फ्लाई 91)	2024	परिचालनरत